



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 248 / जोधपुर / 2016-17

यह प्रमाणित किया जाता है कि

यह प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय विनायक
प्रधान अतिरिक्त, सहायक विनिर्वाहक राजकीय मोरवा
स्कूल, झोडू बजेट मोरवा जिला जोधपुर का

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र हस्ताक्षर और कार्यालय की सील से आज

दिनांक.....७.....माह.....०३.....सन् २०१७.....

को जोधपुर में दिया गया।

रजिस्टार संस्थाएं